HAMIRPUR POLICE

दिनाँक-05/11/2020 थाना मुस्करा

:: लूट की झूठी घटना का खुलासा,झूठा मुकदमा लिखाने वाले वादी के विरुद्ध की गई कार्यवाही::

अवगत कराना है कि दिनांक 25/10/2020 को महेश सोनी पुत्र छुन्नालाल सोनी निवासी ग्राम जलालपुर थाना जलालपुर जनपद हमीरपुर ने मुस्करा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सिवनी डेरा के पास अज्ञात लोगों द्वारा वादी से सोने चांदी के जेवरात लूट ले जाने के संबंध में सूचना दिया था जिस पर थाना मुस्करा पर मुकदमा अपराध संख्या 254/20 धारा 392 आईपीसी बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था मुकदमे की विवेचना के दौरान की गई छानबीन तथा संकलित साक्ष्यों से ज्ञात हुआ की वादी मुकदमा जुआरी किस्म का व्यक्ति है जिसके जुए में पैसा हार जाने के कारण अपने बचाव में मनगढ़ंत लूट की झूठी घटना रच कर थाने पर सूचना दिया था विवेचना के दौरान वादी मुकदमा से की गई गहराई से पूछताछ से वादी मुकदमा द्वारा उक्त घटना को जूठा होना बताया गया जिस पर मुकदमा उपरोक्त में अंतिम रिपोर्ट प्रेषित कर वादी के विरुद्ध धारा 182 आईपीसी की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित की गई है।

साथ ही ये भी अवगत कराना हैं कि वादी मुकदमा महेश कुमार सोनी के जुए की लत के कारण कुल 5,00000 रुपये का कर्ज हो गया था तथा इसके द्वारा माह 01 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक ग्राम डढ़ हट कोतवाली महोबा में लगातार 17 दिन जुआ खेल कर ₹80000 हार गया था जिसको छिपाने के लिए इसके द्वारा उक्त लूट की झूठी सूचना देकर मुकदमा पंजीकृत कराया गया था जो उसने स्वयं स्वीकार किया तथा इससे का लिखित तहरीर भी दिया है जिसके आधार पर मुकदमा खारिज किया गया है।